

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल-83/2026- / स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० पल्लवी, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बख्तारी (करपी), अरवल के द्वारा दिनांक-01.05.2026 से 30.09.2026 तक कुल-153 (एक सौ इक्कासी) दिन उपभोगित/उपभोग की जानेवाली अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1513(25), दिनांक-22.07.2026 से प्राप्त अवकाश आदेयता एवं वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है। उपभोगित अवकाश को घटाने के पश्चात डा० पल्लवीय को 577 (पॉच सौ सत्तहतर) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

2. इसमें आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव

पत्रांक-2/एल-83/2026-

2130(2)

पटना, दिनांक 21/9/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, अरवल/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, करपी, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

तैलिपि: कोषागार पदाधिकारी, अरवल/डा० पल्लवी, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बख्तारी, करपी, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव